न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

<u>एफ एस प्रकरण संख्या</u> 02 / 2021 (2021 / 38)

<u>प्रार्थी</u>

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

सोहनलाल सोंलकी पुत्र शंकरलाल सोंलकी, उम्र 27 वर्ष (एफबीओ / मालिक) फर्म मैसर्स जोधपुर सूर्या स्वीट्स एण्ड शाही नमकीन, बस स्टेण्ड, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। निवासी हनुमान चौक, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

—:<u>आदेश</u> :— दिनांक :— 08.06.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 13.11.2020 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग फर्म मैसर्स जोधपुर सूर्या स्वीट्स एण्ड शाही नमकीन, बस स्टेण्ड, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय दुकान पर विक्रेता एंव मालिक की हैसियत से सोहनलाल सोंलकी पुत्र शंकरलाल सोंलकी निवासी — हनुमान चौक, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर उपस्थित मिले। आम जनता को मिठाई एवं नमकीन आदि निर्माण / विक्रय कर रहे थे। मालिक / विक्रेता से वर्ष 2020 का खाद्य अनुज्ञा—पत्र मांगा, इन्होने एफएसएसआई रजि0 22220039000034 वैद्यता अवधि दिनांक 27.12.2024 पेश किया। दुकान का निरीक्षण करने पर एक काउन्टर में स्टील ट्रे में कलाकन्द (दूध निर्मित मिठाई) करीबन 5 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट / अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिए रूबरू गवाह भगाराम एवं मेरे साथ गये नरेन्द्र कुमार सिंह, वाहन चालक, कार्या0 मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी, जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र एवं 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 560 / — नगद देकर 2 किलोग्राम कलाकन्द खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त कलाकन्द को हिला मिलाकर एक रूप कर चार प्लास्टिक की बोटल्स में बराबर—बराबर मात्रा (500—500 ग्राम) में डालकर प्रत्येक बोटल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40—40 बूंदे बतौर परिरक्षक की डालकर प्रत्येक बोटल को एयर टाईट बन्द कर इनके उपर लगाने हेतु चार लेबर तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम—2490 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम—2490 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग—अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार—चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते [illegible] हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में [illegible] मौका फर्द मौके पर तैयार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:21:26 IST
Reason: SelfAttested

पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–2490 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्ंवय के द्वारा दिनांक 14.11.2020 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–2490 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 13.11.2020 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 13.11.2020 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 788–789 दिनांक 24.12.2020 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. 977 / एक्ट / 2020 / 975 दिनांक 22.12.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिर्पोटे सलंग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 25.05.2022 को लिखित जवाब पेश किया। प्रकरण में अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी को प्रपत्र संख्या 5ए भरकर जरूर दिया था लेकिन नियमानुसार प्रपत्र में दो गवाहन के नाम व पूर्ण पते लिखना आवश्यक है जो इस प्रपत्र में नहीं थे। खरीद रसीद जरूर बनाई गयी लेकिन उस पर स्वतन्त्र मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं करवाकर अपने कर्मचारियों के हस्ताक्षर करवाना बताया। कलाकन्द के सैम्पल नियमानुसार नहीं लिए गये, सैम्पल में प्रत्येक सैम्पल 250–250 ग्राम के होने चाहिए लेकिन हस्तगत प्रकरण में 500–500 ग्राम के सैम्पल लिये गये अतः प्रावधानों की पालना नहीं होने से अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी सोहनलाल सोंलकी की फर्म मैसर्स जोधपुर सूर्या स्वीट्स एण्ड शाही नमकीन, बस स्टेण्ड, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु कलाकन्द का सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल की जांच रिपोर्ट एल. एस. 977 / एक्ट / 2020 / 975 दिनांक 22.12.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ कलाकन्द का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform) होना पाया गया। उक्त प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय या वितरण करके अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:21:26 IST
Reason: SelfAttested

है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

आदेश

अप्रार्थी सोहनलाल सोंलकी पर शास्ती रूपये 10,000/– अक्षरे रूपये दस हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्राथी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
क्रमांकः कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2022/ दिनांक :–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. सोहनलाल सोंलकी पुत्र शंकरलाल सोंलकी, उम्र 27 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म मैसर्स जोधपुर सूर्या स्वीट्स एण्ड शाही नमकीन, बस स्टेण्ड, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। निवासी हनुमान चौक, सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:21:26 IST
Reason: SelfAttested